रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2013/ वैशाख 2, 1935
No. 196] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2013/VAISAKHA 2, 1935

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 260(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2011 में, अनुसूची में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	वेतन बैंड -2, 9300 - 34800 रु. (ग्रेड वेतन-4200 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) से प्रोन्नति जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.) में छः वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक न्यायिक सदस्य —अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य सदस्य —सदस्य (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती —सदस्य (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार —सदस्य	लागू नहीं होता

(11) **प्रतिनियुक्ति** : वे व्यक्ति जो सदृश आधार पर नियमित पद धारण किए हुए हैं : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन-4200 रु.), या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.) में छः वर्ष की नियमित सेवा । **आवश्यक** : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव । **टिप्पण** 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण** 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. स्टाफ कार चालक-श्रेणी-1	7* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

IndiaCode

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे स्टाफ कार चालक(श्रेणी-II) से प्रोन्नति जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2400 रु.) में 5 वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति** : वे व्यक्ति जो सदृश आधार पर नियमित पद धारण किए हुए हैं : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.), या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2400) में 5 वर्ष की नियमित सेवा । **आवश्यक** : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

IndiaCode

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. स्टाफ कार चालक - श्रेणी -II	6* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	वेतन बैंड -1 5200-20200 रु0 - ग्रेड वेतन- 2400 रु0	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे स्टाफ कार चालक(श्रेणी-II) से प्रोन्नति जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-1900) में 8 वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : वे व्यक्ति जो सदृश आधार पर नियमित पद धारण किए हुए हैं : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2400), या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

1621 GI/13-2

IndiaCode

अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-1900) में 8 वर्ष की नियमित सेवा । **आवश्यक :** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. स्टाफ कार चालक - सामान्य श्रेणी	7* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु. (ग्रेड वेतन-1900)	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के	**आवश्यक :** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का

IndiaCode

					माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	अनुभव । **वांछनीय** : मोटर यंत्रावली का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन की छोटी त्रुटि को ठीक करने के योग्य हो)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक न्यायिक सदस्य -अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. -17(4)/ 2013-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 17 जून, 2011 को अधिसूचना सं. 458(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ), तारीख 11-6-2012 द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2013

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 read with clause (h) of Section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely :—

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Staff Car Driver – Special Grade	1* (2013) Subject to variation depending upon the workload	Not applicable	PB-2 Rs.9300-34800 (GP-4200)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1. (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Recruitment , Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, the Schedule, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation	**Promotion:** Promotion from amongst Staff Car Drivers (Grade-I) in the National Green Tribunal with 6 years regular service in PB-1 Rs.5200-20200 (GP-2800). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- (i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member (iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not applicable

	juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:Persons holding analogous post on regular basis: (a) In PB-1 Rs. 9300-34800 (GP-4200) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals, or (b) with 6 years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2800) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals. **Essential:** (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board; (ii) having a valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1621 GI/13-3

IndiaCode

15. Staff Car Driver – Grade-I	7*(2013) Subject to variation depending upon the workload	Not Applicable	PB-1 Rs.5200-20200 (GP-2800)	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption, to be made	If departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation/absorption	**Promotion:** Promotion from amongst Staff Car Driver (Grade-II) in the National Green Tribunal with 5 years regular service in PB-1, Rs. 5200-20200 (GP-2400). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Persons holding analogous post on regular basis: (a) in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2800) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals, or (b) with 5 years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2400)) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals. **Essential:** (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board; (ii) having a valid driving	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-** (i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member (iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not applicable

	licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

IndiaCode

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Staff Car Driver – Grade-II	6*(2013) *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2400)	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption, to be made	If departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation/absorption	**Promotion:** Promotion from amongst Staff Car Driver (Grade-II) in the National Green Tribunal with 8 years	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-**	Not applicable

1621 GI/13-4

	regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-1900). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Persons holding analogous post on regular basis: (a) in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2400) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals, or (b) with 8 years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-1900)) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals. **Essential:** (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board; (ii) having a valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	(i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member (iv) Registrar of the Tribunal - Member	

IndiaCode

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Staff Car Driver – Ordinary Grade	7* (2013) *Subject to variation depending upon workload	Not applicable	PB-1 Rs.5200 -20200 (GP-1900)	Not appli-cable	18-27 years (relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). **Note 1**: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications. **Note 2:** In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board; (ii) having a valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more. **Desirable :** Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to rectify the minor defects in vehicles)	Not applicable	2 Years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be field by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- (i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member (iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not applicable

[F. No. 17(4)/2013-PL/NGT]
SURJIT SINGH, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i) dated 17th June, 2011 *vide* notification number 458(E) dated the 17th June, 2011 and were subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 440(E) dated 11th June, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/ आषाढ़ 21, 1935
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASADHA 21, 1935

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2013.

G.S.R. 482(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd April 2013, vide notification number G.S.R. 260(E), dated the 17th April, 2013, at page 8, for "lines 1 to 24", read "1. (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, in the Schedule, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Staff Car Driver - Special Grade	1*(2013) *Subject to variation depending upon the workload	Not applicable	PB-2 Rs.9300-34800 (GP-4200)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable"

[F.No. 17(4)/2013-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054